न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
72/2018	01-05-2018	18/4/21

उनवान

01. हक्कू पुत्र साहाबू
02. दीनू पुत्र श्री अब्दुल मजीद (फौत)
    2/1 मौजबी पुत्र स्व0 श्री दीनू
    2/2 अब्बास
    2/3 अख्तर
    2/4 मुस्तकीम
    2/5 लुकमान पुत्रान स्व0 श्री दीनू जाति मेव निवासीगण उटोन तहसील तॉवडू जिला गुरूग्राम (हरि.)
03. दीनू पुत्र श्री टिमरू
04. इसराईल पुत्र श्री फजरू जाति मेवान निवासीगण ग्राम गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. पतली पत्नी स्व0 सुलेमान
02. रहमान पुत्र श्री जहुरूदीन
03. बसीर
04. हबीब
05. रमजान पुत्रान श्री सुलेमान
06. असगरी
07. बसीरी पुत्रीयान श्री सुलेमान
08. खुशीमौहम्मद
09. इदरीश
10. साहुन
11. अख्तर पुत्रान श्री कल्लु
12. आसीया
13. मेमन
14. धोली
15. रोशनी पुत्रीयान कल्लू
16. बसका पत्नी स्व0 कल्लू जातियान मेव निवासीगण ग्राम बिलाहैडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

...भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग मे से 0.0625 है0 वाके ग्राम बिलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग में से 0.0625 है0 वाके ग्राम बिलाहेडी वादीगण ने सम्भाग 1/4, 1/4 भाग में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.04.2006 को समस्त प्रतिफल राशि अदा कर, उपपंजीयक तिजारा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 227 में पृष्ठ संख्या 111, कम संख्या 2006001511 पर पंजीबद्व कराया है। वक्त खरीद से ही हम वादीगण विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। जिसका इंतकाल संख्या 411 हम वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हो गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने इंतकाल गलत अंकन वादीगण का 1/4, 1/4 भाग के स्थान पर 1/8, 1/8 भाग दर्ज कर दिया। विवादित आराजी पर वक्त खरीद से ही समान भाग में 1/4, 1/4 भाग पर हम वादीगण काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर वादीगण का वास्तविक कब्जा है। विवादित आराजी का इंतकाल बयनामा दिनांक 13.04.2006 के आधार पर हम वादीगण प्रत्येक के 1/4, 1/4 भाग में दर्ज होना चाहिये था, किन्तु हम वादीगण प्रत्येक के नाम 1/8, 1/8 भाग में इंतकाल दर्ज कर दिया और उसी आधार पर चौसाला जमाबन्दी में भी हम वादीगण का 1/8, 1/8 भाग का गलत अंकन बदस्तूर चला आ रहा है। वादीगण आराजी के सद्भावी केता है और मौके पर वास्तविक कब्जा है। प्रतिवादीगण के नाम आया गलत अमल, हम वादीगण के हकूकों के विरूद्व बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे वादीगण इसी कदर दुरूस्त कराकर प्रतिवादीगण के नाम के अमल को हजफ कराकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग में से 0.0625 है0 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा अपने नाम का अमल दरामद कराकर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग में से 0.0625 है0 वाके ग्राम बिलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर है। प्रतिवादीगण के नाम आया प्रत्येक के 1/8, 1/8 भाग गलत अमल, हम वादीगण के हकूकों के विरूद्व बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे वादीगण 1/8, 1/8 भाग के स्थान पर 1/4, 1/4 भाग प्रत्येक के दुरूस्त कराकर प्रतिवादीगण के नाम के अमल को हजफ कराकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग में से 0.0625 है0 का वादीगण 1/4, 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा अपने नाम का अमल दरामद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद के साक्ष्य सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे।

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र दीनू उम्र करीब 55 [illegible] श्री टिपरू जाति मेव निवासी ग्राम गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर, ईसराईल उम्र करीब 54 साल पुत्र श्री फजरू जाति मेव निवासी ग्राम गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर, ईसराईल उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री ईशाक जाति मेव निवासी ग्राम बिलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.39 है0 के 1/2 भाग में से 0.0625 है0 पर वादीगण 1 को 1/4 भाग, वादी संख्या 2 के वारिसान को 1/4 भाग, वादीगण संख्या 3 व 4 का 1/4, 1/4 भाग पर नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

16/[illegible]/[illegible]

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0